



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18052022-235823
CG-DL-E-18052022-235823

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2143]
No. 2143]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 17, 2022/वैशाख 27, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, MAY 17, 2022/VAISAKHA 27, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मई, 2022

का.आ. 2258(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 642 (इ) डेटेड 14.02.2022, जो भारत के राजपत्र सं. 623, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा तमिलनाडु राज्य के विरुधुनगर जिले में NH744 के कि.मी. 31.8 से कि.मी.70.981 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "03.03.2022" को "थे हिन्दू" और "दिनाकरन" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

तमिलनाडु राज्य के विरुधुनगर जिले में NH744 के कि.मी. 31.8 से कि.मी.70.981 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण ।

राज्य का नाम: तमिलनाडु		जिले का नाम: विरुधुनगर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: श्रीविल्लीपुतुर				
	गांव का नाम: तैलकुलम				
1	10/2A1B1B	निजी	ड्राई	0.1531	४२१ मरिमुथु एस्ओएँन् ओएँफ़ रामासामी (10/2A1B1B)
2	10/2B	निजी	ड्राई	0.011	427 पांडियन एस्ओएँन् ओएँफ़ सुंदर नादर (10/2B)
3	11	सरकारी	पोरम्बोक	0.02	रोड (11)
4	12/2	सरकारी	पोरम्बोक	0.1106	कुलम (12/2)
5	15/16A1A	निजी	ड्राई	0.3392	183 सी मीनाक्षम्मल , अरुमुगम , शिवगुरुनाथन , सीनिवासन, वीरपतिरण (15/16A1A)
6	15/7A1A1A2	निजी	ड्राई	0.0167	४११ गणपति वैफ ओएँफ़ राजप्पन (15/7A1A1A2)
7	18/1	सरकारी	पोरम्बोक	0.132	वारी (18/1)
8	18/2	सरकारी	पोरम्बोक	0.0214	वारी (18/2)

9	9	सरकारी	रोड	0.126	रोड (9)
			कुल	0.93	

[फा. सं. NHAI/2018-LA/3a-Notif/NH744/PIU-Madurai/16-July/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th May, 2022

S.O. 2258(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O.642(E) dated 14.02.2022, published in the Gazette of India No. 623, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH744 on the stretch of land from Km. 31.8 to Km. 70.981 in the district of VIRUDHUNAGAR in the state of TAMIL NADU;

And whereas the substance of the said notification has been published in “*THE HINDU*” and “*DHINAKARAN*” both dated 03.03.2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH744 in the stretch of land from Km. 31.8 to Km. 70.981 in the district of VIRUDHUNAGAR in the state of TAMIL NADU.

State: TAMIL NADU			District: VIRUDHUNAGAR		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Srivilliputhur				
	Village: Thailakulam				
1	10/2A1B1B	Private	DRY	0.1531	421 MARIMUTHU SON OF RAMASAMY 10/2A1B1B
2	10/2B	Private	DRY	0.011	427 PANDIAN SON OF SUNDARA NADAR

					10/2B
3	11	Government	PORAMBOKE	0.02	ROAD 11
4	12/2	Government	PORAMBOKE	0.1106	KULAM 12/2
5	15/16A1A	Private	DRY	0.3392	183 C MEENAKSHIAMMAL , ARUMUGAM , SIVAGURUNATHAN , SEENIVASAN, VEERAPATHIRAN 15/16A1A
6	15/7A1A1A2	Private	DRY	0.0167	411 GANAPATHY WIFE OF RAJAPPAN 15/7A1A1A2
7	18/1	Government	PORAMBOKE	0.132	VAARI 18/1
8	18/2	Government	PORAMBOKE	0.0214	VAARI 18/2
9	9	Government	ROAD	0.126	ROAD 9
			TOTAL	0.93	

[F. No. NHAI/2018-LA/3a-Notif/NH744/PIU-Madurai/16-July/3D]

RAJESH GUPTA, Director